इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 9 मई, 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---------- ----------1
बैंकिंग ागत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन / अर्थव्यवस्था----------4
वित्तीय समावेशन-------- ---------- -5
नयी नियुक्तियां ----------5
बीमा / विदेशी मुद्रा ---------- 5
उत्पाद एवं गठजोड ----------6
बासेल -III - पूंजी विनियमन----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ---------- 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाार----------7
बाज़ार की खबरें ----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को स्वर्ण धातु ऋणों के ऋण मूल्यांकन सुदृढ़ करने हेतु निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेईमान जौहरियों द्वारा की जाने वाली धोखाधडियों की पृष्ठभूमि में स्वर्ण धातु ऋण (GML) प्रदान करने वाले बैंकों को उनकी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें निदेश देते हुए अनुदेशों का एक सेट जारी किया है। ऐसे बैंकों को जो आपाती साख पत्र / बैंक गारंटियां जारी करते हैं आवश्यक रूप से कठोर ऋण मूल्यांकन का कार्य करना ाहिए तथा आपाती सा ख पत्र / बैंक गारंटियों (ान्हें गैर-निधि-आधारित सीमाएं माना ाता है) को निधि-आधरित सीमा ैसी ही मानना ाहिए। उसने स्वर्ण धातु ऋण संवितरित करने वाले बैंकों को उधारकर्ता का स्वतंत्र ऋण मूल यांकन करने तथा केवल अन्य बैंकों द्वारा जारी आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी पर ही निर्भर न रहने की भी सलाह दी है। स्वर्ण धातु ऋण प्रदान करने वाले बैंक प्रासंगिक सूचना उधारकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं और उसे आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी जारीकर्ता बैंकों को बांट सकते हैं। स्टॉक का निरीक्षण, स्वर्ण स्टॉक की गुणवत्ता की जांच, बीमा सुरक्षा का सत्यापन आदि जैसे कार्य स्वर्ण धातु ऋण प्रदान करने वाले बैंक तथा आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी जारीकर्ता बैंक द्वारा संयुक्त रूप से या फिर आवर्तन के आधार पर किए जा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खज़ाना बिलों में निवेश पर रोक लगाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर से सम्बन्धित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा (खज़ाना बिलों / टी बिलों जैसी) अल्पावधिक सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की खरीद पर रोक लगा दी है। उसने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मुद्रा प्रतिरक्षण (hedging) की अनुमति भी प्रस्तावित की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति केवल एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली दिनांकित प्र तिभूतियों में ही दी जाएगी। खज़ाना बिलों में मौजूदा निवेश को परिपक्वता या बिक्री पर शुंडाकार (taper off) होने दिया जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खज़ाना बिलों में अनुमत 5.5 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा

के 85% का उपयोग कर लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक को आशा है कि अल्पावधि में रिक्त की गई निवेश सीमा अपेक्षाकृत लम्बी परिपक्वताओं पर उपलब्ध होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा न्यूनतम शेष पर किसी प्रकार का जुरमाना नहीं प्रस्तावित

1 अप्रैल, 2014 को मौद्रिक नीति की अपनी द्विमासिक समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि साधारण बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष न बनाए रखने हेतु दंडस्वरूप प्रभार वसूल करने की बजाय बैंकों को इस प्रकार के खातों पर उपलब्ध होने वाली सेवाओं को मूल बचत बैंक जमा खातों में उपलब्ध होने वाली सेवाओं तक सीमित कर देना चाहिए तथा इन सेवाओं को तब बहाल करना चाहिए जब शेष राशि बढ़ कर न्यूनतम आवश्यक स्तर तक पहुंच जाए। बैंकों को किसी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम शेष न रखे जाने पर दंडस्वरूप प्रभार नहीं वसूल करना चाहिए। बैंकों को ऐसे मामलों में जिनमें बैंक ग्राहक की लापरवाही को सिद्ध करने में समर्थ न हों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों की देयता को भी सीमित रखना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयात / विदेशी मुद्रा नियम शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कच्चे हीरों (अर्थात् रफ्स) के आयात को सुगम बनाने के लिए कार्यविधि लचीली बना दी है। अब तक किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों के विभाग / उपक्रम को छोड़कर किसी आयातक द्वारा अग्रिम भुगतान किसी सीमा के बिना और किसी बैंक गारंटी अथवा आपाती साख पत्र के बिना केवल अधिसूचित खनन कम्पनियों को ही किए जा सकते थे। अब से भारतीय रिज़र्व बैंक उन विदेशी कम्पनियों के नाम नहीं अधिसूचित करेगा जिनसे इस प्रकार का कोई आयातक अग्रिम भुगतानों के माध्यम से और किसी सीमा या बैंक गारंटी या आपाती साख पत्र के बिना कच्चे हीरों का आयात कर सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बॉण्डों में विदेशी निवेशकों की सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में सभी श्रेणियों के विदेशी निवेशकों के लिए उप-सीमाओं को निवेश सीमाओं को 30 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा के भीतर विलयित करके युक्तिसंगत बना दिया है। तदनुसार, अब विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) सहित सभी निवेशकों , सॉवरेन धन-संपदा निधियों, बहुपक्षीय एजेन्सियों, पेंशन निधियों, बीमा कम्पनियों तथा विदेशी केन्द्रीय बैंकों को सरकारी बॉण्डों में 30 बिलियन अमरीकी डालर तक के निवेश का अवसर प्राप्त होगा। सभी विदेशी निवेशकों को खज़ाना बिलों जैसे अल्पावधिक दस्तावेज़ खरीदने से रोक दिया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बॉण्डों में 20 बिलियन अमरीकी डालर की निवेश सीमा के 76% का उपयोग कर लिया था, जबकि दीर्घावधिक निवेशकों ने 20 बिलियन अमरीकी डालर की उप-सीमा के 18% का उपयोग किया था।

सीमित देयता वाली भागीदारी फर्में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार कर सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत गठित एवं पंजीकृत कोई सीमित देयता वाली भागीदारी (LLP) फर्म कुछेक शर्तों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्वीकार करने की पात्र होगी। सीमित देयता वाली भागीदारी के सदस्यों को उनकी आंतरिक संरचना को एक भागीदारी के रूप में संगठित करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक ऐसी कारपोरेट व्यावसायिक संस्था होती है जिसमें सीमित देयता के लाभ प्रदान करते हुए एक लचीली, नवोन्मेषी और कुशल रीति से परिचालन करने हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा उद्यमशील पहलकदमी का संयोजन होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति या भारत से बाहर निगमित किसी कम्पनी को सीमित देयता वाली भागीदारी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु एक पात्र निवेशक मानेंगा।

गृह ऋण उधारकर्ताओं को राहत

ऋण की एक पारदर्शी और उपयुक्त मूल्य-निर्धारण पद्धति लागू करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अस्थिर दर वाले ऋणों में कोई भी परिवर्तन केवल सहमत पुनर्नियतन तिथि को ही करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्य दल ने यह सुझाव दिया है कि अस्थिर दर वाले ऋण करारों में ब्याज दर पुनर्नियतन की व्यवस्था मासिक, तिमाही, अर्ध-वार्षिक आधार पर की जा सकती है। करार में यथा-निर्धारित तिथि को ऋणों का पुनर्नियतन हो जाने पर ग्राहक को यह ज्ञात होगा कि दरों में परिवर्तन कब होना है, जिससे पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। इसप्रकार, आधार दर में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप मौजूदा ऋणों पर अस्थिर दर में तत्काल परिवर्तन करना जरूरी नहीं होगा। उक्त दल ने बैंकों के निदेशक मंडलों से यह सुनिश्चित करने हेतु कहा है कि इस सम्बन्ध में ग्राहकों के साथ भेदभाव न किया जाए और यह कि ऋण मूल्य-निर्धारण में अंतर केवल विनिर्दिष्ट कारकों यथा स्पर्धात्मक स्थितियों, ग्राहक सम्बन्ध और कारोबारी रणनीति के कारण होगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उक्त पैनल ने अस्थिर दर वाले ऋणों की कीमतें बैंक के / की विशिष्ट निधीयन लाभों / हानियों को ध्यान में रखे बिना यादृच्छिक रूप से घटने-बढ़ने में सहायता करने हेतु एक नया निर्देश चिन्ह (benchmark) अर्थात् भारतीय बैंकों की आधार दर (IBBR) प्रस्तावित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के लेखांकन मानदंड बदले

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के लेखांकन मानदंडों को स्पष्ट कर दिया है। अब से बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय आस्तियां अभिगृहीत करने के लिए उचित कर्तव्यपरायणता बरतने हेतु अभिग्रहण-पूर्व स्तर पर किए गए खर्चों को जिस अवधि में ऐसी लागतें वहन की गई हैं उस अवधि के लाभ एवं हानि लेखा विवरण में तत्काल 'खर्चों' के रूप में अभिज्ञात किया जाना आवश्यक होगा। आस्तियों के अभिग्रहण के बाद न्यास के गठन, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण पर किए गए और न्यास से

वसूल किए जाने योग्य खर्च आयोजना अवधि से 180 दिनों के भीतर वसूल न होने पर प्रत्यावर्तित (reverse) कर दिए जाएंगे। प्रतिफल का निर्धारण प्रतिभूति रसीदों की सम्पूर्ण मूल रकम के पूर्णत: मोचन
के बाद ही किया जाएगा। प्रबन्धन शुल्कों का निर्धारण उपचय के आधार पर किया जाना चाहिए। आयोजना अवधि के दौरान अभिनिर्धारित प्रबन्धन शुल्क उक्त अवधि की समापन तिथि से 190 दिनों के भीतर अवश्य वसूल हो जाने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल ने केन्द्रीकृत बिल भुगतान की वकालत की

भारतीय रिज़र्व बैंक की एक समिति ने दो संगठनों यथा- भारत बिल भुगतान सेवा (BBPS) और भारत ि बल भुगतान परिचालन एककों (BBPOUs) की स्थापना करते हुए देश में केन्द्रीकृत बिल भुगतान की व्यवस्था का सुझाव दिया है। गिरो (सरकार की आंतरिक राजस्व व्यवस्था) परामर्शी दल अथवा जीएजी के रूप में ज्ञात उक्त पैनल का गठन अक्तूबर, 2013 में किया गया था। गिरो परामर्शी दल के अध्यक्ष हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई में प्राध्यापक प्रो. उमेश बेल्लूर तथा वे गिरो-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की देखरेख कर रहे हैं। यह एक ऐसी केन्द्रीकृत प्रक्रिया है जो उपयोगिता बिलों, शैक्षणिक शुल्कों तथा बीमा प्रीमियमों के बैंक शाखा के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। गिरो परामर्शी दल ने एक ऐसी स्तरित (tiered) संरचना की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें भारत बिल भुगतान सेवा (BBPS) के एक प्राधिकृत मानक नियतन निकाय के रूप में जबकि भारत बिल भुगतान परिचालन एककों (BBPOUs) के प्राधिकृत पि रचालनात्मक इकाइयों के रूप में कार्य करने की व्यवस्था है। वे दोनों ही भारत बिल भुगतान सेवा (BBPS) मानकों के अनुपालन की दिशा में कार्य करेगे। भारत बिल भुगतान सेवा (BBPS) प्रणाली में किए गए लेनदेनों से उद्भूत होने वाले निपटान सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करेगा।

ग्राहकों के साथ भेदभाव रोकने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये मानदंड जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा की अध्यक्षता वाले एक कार्य दल ने ऋण मूल्य-निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु कठोर मानदंडों का सुझाव दिया है। उसने यह सिफारिश की है कि किसी मौजूदा ग्राहक से प्रभारित किया जाने वाला कीमत-लागत अंतर (Spread) ग्राहक के ऋण जोखिम प्रोफाइल में गिरावट आने की स्थिति को छोड़कर बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। बैंक प्राय:, विशेष कर गृह ऋणों पर नये ग्राहकों को कमतर ब्याज दरों की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि पुराने ग्राहक उच्च दरों का भुगतान करना जारी रखते हैं। उक्त समिति का कहना है कि जहां बैंक दर में वृद्धि होने के बाद तत्काल सभी स्तरों पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, वहीं वे मौद्रिक नीति के सहूलियत वाली होने पर ब्याज में कटौती करने के प्रति उदासीनता बरतते हैं।

व्यापारिक स्पर्धात्मकता का पता लगाने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

व्यापारिक भागीदारों के समक्ष देश की तुलनात्मक स्पर्धात्मकता का चित्रण करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अब वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर (REER) की गणना करने हेतु थोक की बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) -आधारित वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर (REER) विभिन्न देशों की स्पर्धात्मकता का सर्वाधिक आवृत्ति में प्रयुक्त होने वाला संकेतक है। उक्त सूचकांक भारत और व्यापारिक भागीदार देशों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए व्यापारिक भागीदारों की तुलना में देश की वैश्विक स्पर्धात्मकता उच्चतर स्तर वाली तुलनीयता सुनिश्चित करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू ऋण चुकाने हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार पर रोक लगाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम्पनियों द्वारा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के माध्यम से जुटाई निधियों से घरेलू ऋण चुकाए जाने पर रोक लगा दी है। बैंकों से उनकी विदेशी शाखाओं को अपतटीय संयुक्त उद्यमों / भारतीय कम्पनियों की सहायक कम्पनियों को रुपया ऋण चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के लिए गारंटिया दिए जाने से रोकने के लिए कहा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक को यह पता चला है कि बैंक विदेशी संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्प नियों (भारतीय कम्पनियों की) की ओर से उनके व्यवसायों से असम्बद्ध उद्देश्यों के लिए गारंटियां / आपाती साख पत्र जैसी गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। उसने तब यह स्पष्ट किया कि भारतीय बैंक संयुक्त उद्यमों और भारतीय कम्पनियों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्प नियों को विदेशी व्यवसाय के समान्य क्रम में इस प्रकार की सुविधाएं देना जारी रख सकते हैं। बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह देखने के लिए कि वे व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप हैं ऐसी सुविधाओं के अंतिम उपयोग पर प्रभावी निगरानी रखी जाए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंक जमाराशियों का 60 % परिवारों द्वारा स्वाधिकृत

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणियिक बैंकों (SCBs) के पास ामाराशियों की संराना और स्वा मित्व के स्वरूप पर किए गए एक अध्ययन से यह पता ाला है कि ामाराशियों के स्वामित्व पर पारिवारिक क्षेत्र का वर्ास्व कायम है। मार्च, 2013 में वे देश में 71,46,600 करोड़ रुपये की बैंक जमाराशियों के मात्र 60% के स्वामी थे। सरकारी क्षेत्र 14% से कुछ कम का स्वामी था, गैर-वित्तीय कारपोरेट क्षेत्र 12.4%, वित्तीय क्षेत्र 10% तथा विदेशी क्षेत्र 4% के स्वामी थे। परिवारों के भीतर व्यक्तियों (हिन्दू अविभक्त प रिवारों सहित) की हिस्सेदारी 77-80% के रूप में सर्वाधिक थी।

मूलभूत सुविधा निर्माण के लिए बैंकों को दीर्घावधिक बॉण्डों के उपयोग की अनुमति संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा दिशानिर्देशों का पुनरावलोकन करने पर और अधिक नवागंतुकों को बैंकिंग के अवसर प्रदान कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक प्रणाली में अधिक विभेदित प्रतिस्पर्धी चाहता है और इसप्रकार लाइसेंस 'मांग के अनुसार (on tap) उपलब्ध" होंगे। इसप्रकार आवेदन प्राप्त करने हेतु खिड़कियां अंतरालों पर खोली जाएंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात के प्रति उत्सुक है कि मध्यवर्ती संस्थाएं देश में मूलभूत सुविधा के निर्माण हेतु दीर्घावधिक निधियों का उपयोग करने में समर्थ हों। वह बैंकों को दीर्घावधिक निधियों के उपयोग की अनुमति दे सकता है, किन्तु इन दायित्वों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और साविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) जैसी विनियामक बाध्यताओं से छूट प्रदान कर सकता है।

चलनिधि बढ़ाने के उपाय मुद्रा के क्षरण /रिसाव द्वारा प्रभावित

जनता के पास नकदी के बढ़ते संचलन के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनि धि निषेचन के प्रभाव में कमी आ रही है। मुद्रा बाज़ार की दरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से बैंकों को विविध मार्गों के माध्यम से दी जाने वाली चलनिधि की सहूलियत पिछले चार वर्षों में अभूतपूर्व रूप से 1.5 -2 लाख करोड़ रुपये रही है। जहां चलनिधि में कठोरता का अधिकांश डालर के बहिर्वाहों, ऋण वृद्धि के जमा वृद्धि से अधिक होने तथा सरकार के बढ़ते बाज़ार से उधारों के कारण रही है, वहीं इस कठोरता का एक स्थिर स्रोत संचलन के अधीन मुद्रा में वृद्धि रही है। जनता के पास मुद्रा पिछले वर्ष में 11.6% और 2011-12 में 12,2% की तुलना में 2013-14 में 9.4% बढ़ कर 13 लाख करोड़ रुपये हो गई।

विदेशी मुद्रा और ब्याज दर हेतु निर्देशचिन्हों की व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी

विदेशी मुद्रा और ब्याज दर बाज़ार के लिए निर्देशचिन्ह (benchmarks) निर्धारित करने हेतु एक अभिशासन एवं प्रणालीगत ढांचा कार्यान्वित करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की मुहिम से अधिक पारद र्शिता एवं अनुशासन आएगा। शीर्ष बैंक ने विजयभास्कर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा उन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित करेगा। उक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (FIMMDA) तथा विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) इन निर्देश चिन्हों पर निगरानी रखने के लिए (या तो संयुक्त रूप से या फिर अलग-अलग) एक स्वतंत्र निकाय का गठन करें। वित्तीय निर्देशचिन्हों का उपयोग बैंको और बाज़ार के अन्य सहभागियों द्वारा रुपया आस्तियों के मूल्य-निर्धारण की आवधिक समीक्षा करने के लिए तथा ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा व्युत्प न्नियों (Derivatives) का निपटान करने हेतु किया जाता है। कुछेक निर्देशचिन्हों में मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (MIBOR) और मुंबई अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा प्रस्ताव दर (MIFOR) का समावेश है।

विदेशी ऋण सुविधाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रोक से अनर्जक आस्तियां बढ़ सकती हैं

मूडीज की एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय बैंकों द्वारा भारतीय कम्पनियों की विदेशी कम्पनियों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रतिबंधों से अनर्जक कारपोरेट ऋणों के रूप में ज्ञात रिपोर्ट किए गए अशोध्य ऋणों की रकम बढ़ सकती है। हालांकि, इस वृद्धि से बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता की अपेक्षाकृत सही स्थिति का प्रतिबिंबन हो सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह बैंकों को ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) देने की अनुमति नहीं देगा जो उधारकर्ताओं को केवल उनके मौजूदा रुपया ऋणों को चुकाने में समर्थ बनाते हैं। वह उधारकर्ताओं को व्यवसाय के सामान्य उद्देश्य को छोड़कर किसी अन्य स्रोत से ऋण लेने में समर्थ बनाने हेतु बैंकों को आपाती साख पत्र जैसी गैर-निधि-आधारित सुविधाएं जारी करने की अनुमति भी नहीं प्रदान करेगा।

गैर-सीटीएस चेकों को 1 मई से समाशोधन में और विलंब का सामना करना पड़ सकता है

चेकों के सीटीएस 2000 अनुपालक न होने पर उनकी वसूली में देरियां हो सकती हैं। 1 मई से ऐसे लिखतों को समाशोधित करने की आवृत्ति मौजूदा प्रति सप्ताह तीन सत्र से घटा कर दो कर दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया था कि चेक समाशोधन की वर्तमान व्यवस्था इस अन्तर्निहित चेतावनी के साथ कुछ और समय तक जारी रह सकती है कि बैंकों को गैर-सीटीएस मानक वाले चेकों को संचलन से वापस लेने के प्रयास करने चाहिए। इनकी वापसी की सीमा रेखा प्रारंभ में 31 जुलाई, 2013 निर्धारित की गई थी। चूंकि गैर-सीटीएस चेकों की काफी बड़ी मात्रा संचलन में बनी रही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त समाशोधन व्यवस्था को 31 दिसम्बर तक प्रति सप्ताह 5 सत्र हेतु जारी रकने की अनुमति दी थी। हालांकि, इस वर्ष जनवरी से गैर-सीटीएस लिखतों के लिए समाशोधन व्यवस्था घटा कर प्रति सप्ताह तीन सत्र कर दी गई थी। 1 मई से इसे घटा कर प्रति सप्ताह दो सत्र (सोमवार और शुक्रवार) किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वि-स्तरीय ऑनलाइन अधिप्रमाणन के पक्ष में

ऑमलाइन बैंकिंग धोखाधड़ियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से लेनदेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु द्वि-स्तरीय अधिप्रमाणन लागू करने के लिए कहा है। भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में सार्वजनिक कुंजी संरचना (PKI) व्यवस्था पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े जोखिमों के बारे में ग्राहकों को सूचित करने हेतु कहा गया है । सभी बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग अनुप्रयोगों को ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन में अधिप्रमाणन और लेनदेन सत्यापन हेतु अनिवार्य रूप से पासवर्ड-आधारित द्वि-घटकीय अधिप्रमाणन और उसके साथ ही सार्वजनिक कुंजी -आधारित प्रणाली सृजित करनी चाहिए। ग्राहकों को ऑनलाइन लेनदेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अधिप्रमाणन की विभिन्न पद्धतियों में से चयन करने में समर्थ होना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण में विदेशी निवेश के पक्ष में

लम्बी अवधि वाले प्रवाहों को प्रोत्साहित करने के अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि अब से पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (RFPI) सहित सभी पात्र निवेशकों द्वारा विदेशी निवेशों की अनुमति केवल एक वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी बॉण्ड प्रतिभूतियों में दी जाएगी। खज़ाना बिलों और एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले सरकारी बॉण्डों को पि रपक्वता पर बिक्री के समय शुंडकार (taper off) होने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में निवेश के सम्बन्ध में संशोधित स्थिति 30 बिलियन अमरीकी डालर होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के साप्ताहिक अर्थोपाय अग्रिम की सीमा निर्धारित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2015) में केन्द्रीय सरकार के अर्थोपाय अग्रिम (WMA) की सीमा प्रति सप्ताह 35,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के 75% का उपयोग कर लिये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार ऋणों के नये निर्गम को प्रवर्तित कर सकता है। दूसरी छमाही की सीमा सितम्बर में निर्धारित की जाएगी। सरकार अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग अपनी उन अल्पावधिक चलनिधि देयता की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु करती है जो उसकी बाज़ार से सुनियोजित रूप से उधार लेने की व्यवस्था के क्रम-भंग के दौरान उद्भूत होती है।

विनियामकों के कथन

निवेशक के विश्वास को बढ़ाना संसाधन निर्मित करने जितना ही महत्वपूर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां निर्मित करने के अलावा देश के लिए एक ऐसा नीतिगत वातावरण सृजित करना भी जरूरी है जो निवेशक के विश्वास को बढ़ाता हो। "इस समय हमारे पास 300 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि है। किन्तु यदि आप केवल प्रारक्षित निधियों पर ही ध्यान केन्द्रि रखते हैं, तो उनके 400, 500, 600 से अधिक हो जाने के बावजूद आप सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे।" 4 सितम्बर को जब से डॉ. राजन ने अपना पदभार संभाला है, तब से विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में लगभग 25 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई है। 30 अगस्त, 2013 को विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 275.5 बिलियन अमरीकी डालर थीं और 31 मार्च को वे 300 बिलियन अमरीकी डालर का स्तर पार कर गईं। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां सितम्बर, 2011 में 322 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच कर अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर थीं।

डॉ. राजन ने केन्द्रीय बैंकों के बीच समन्वय की वकालत की

वैश्विक वित्तीय संकट के उपरांत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य स्थिति में वापस आने हेतु संघर्षरत रहने की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने स्थिर एवं वहनीय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बैंकों के बीच अधिकाधिक समन्वय का आह्वान किया है। उन्होंने कुछेक विकसित देशों द्वारा अपनाई गई अत्यधिक मौद्रिक सहजता और विश्वभर की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर होने वाले उसके प्रभावों पर भी सवाल किया है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भारत के भारी पूंजी अन्तर्वाहों ने वैश्विक आघातों को सहन करने में उसे पर्याप्त उपधान (cushion) सुनिशचित कराया है। डॉ. राजन ने विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि के भण्डारों के माध्यम से देशों को स्व-बीमित कराने की आवश्यकता को कम करने हेतु वैश्विक सुरक्षा पाशों के सृजन का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय चलनिधि (नकदी) शीघ्र ही समाप्त हो सकती हो, विश्व को चलनिधि के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। बहुपक्षीय व्यवस्थाएं सुरक्षित होती हैं, अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होती हैं तथा वे द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं से पैदा होने वाले कुछेक संभाव्य राजनीतिक दबावों के बिना प्राप्त होती हैं।

वित्तीय समावेशन

कारबार संपर्की परिचालनों की प्रत्येक छ: माह पर समीक्षा की जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के निदेशक मंडलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारपोरेट कारबार संपर्कियों (BCs) तथा कारबार संपर्की एजेन्टों की निधीयन-पूर्व आवश्यकताओं में उचित समय में कमी (taper down) आ जाए कारबार संपर्कियों के परिचालनों की कम से प्रत्येक छ: माह में एक बार समीक्षा करने का निदेश दिया है। आदर्श रूप मे, सामान्य मामलों में निधीयन-पूर्व आवश्यकता कारबार संपर्की द्वारा परिचालन आरंभ किए जाने के समय से लगभग दो वर्षों में जमाराशियों के मामले में क्रमिक रूप से घट कर प्रत्येक कारबार संपर्की के लिए निर्धारित सीमाओं की लगभग 15% तथा बैंक गारंटियों के मामले में 30% रह जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बैंक के शीर्ष प्रबन्धन द्वारा निगरानी की एक प्रणाली निर्धारित करके कारबार संपर्कियों को पारिश्रमिक के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री जी. गोपालकृष्ण. (भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक , भारि बैंक)	निदेशक, उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं शिक्षण केन्द्र (CAFRAL)
श्री एन. एस. विश्वनाथन	कार्यपालक निदेशक,, भारतीय रिज़र्व
श्री यू.एस. पालीवाल	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री चंदन सिन्हा	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

बीमा

बीमा क्षेत्र में वृद्धि वापस

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी. एस. विजयन का कहना है कि बीमा उद्योग में वृद्धि की वापसी हो गई है, क्योंकि 2013-14 में जीवन और सामान्य, दोनों ही खण्डों ने अच्छा कार्य-निष्पादन किया। एक वर्ष पहले की अवधि में 6% की गिरावट की तुलना में मार्च, 2014 में समाप्त वर्ष में जीवन बीमा क्षेत्र में नयी प्रीमियम वसूलियों में 12.5% की वृद्धि दर्ज हुई। 2013-14 में सभी 24 जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा वसूल किया गया कुल प्रीमियम अर्थात् पुरानी तथा नयी पॉलिसियों के प्रीमियमों की रकम - 2.87 करोड़ रुपये थी। जीवन बीमा व्यवसाय सामान्य बीमा क्षेत्र के मुकाबले लगभग पांच गुना ज्यादा बड़ा है। इसलिए इस खण्ड में किसी प्रकार की वापसी (Turnaround) का देश में बीमा उद्योग के विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

विदेशी मुद्रा

मई, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.54900	0.564	1.021	1.453	1.813
जीबीपी	0.92500	1.5186.	1.8389	2.0813	2.2762
यूरो	0.57071	0.478	0.607	0.770	0.949
जापानी येन	0.34286	0.213	0.238	0.285	0.353
कनाडाई डालर	1.49000	1.431	1.639	1.872	2.088
आस्ट्रेलियाई डालर	2.73000	2.905	3.113	3.398	3.598
स्विस फ्रैंक	0.20140	0.108	0.180	0.285	0.433
डैनिश क्रोन	0.57700	0.6589	0.8075	1.0000	1.2000
न्यूजीलैंड डालर	3.65000	4.010	4.260	4.420	4.530
स्वीडिश क्रोन	0.83400	0.966	1.180	1.423	1.635
सिंगापुर डालर	0.35100	0.635	1.049	1.442	1.773
हांगकांग डालर	0.48000	0.760	1.210	1.620	1.950
एमवाईआर	3.52000	3.650	3.750	3.850	3.970

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	25 अप्रैल, 2014 के दिन	25 अप्रैल, 2014 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	18, 918.9	309,,913. 0
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	17, 236.6	2 82, 029. 4
ख) सोना	1, 296.2	21,566. 8
ग) विशेष आहरण अधिकार	273, 7	4, 477.5
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	112.4	1, 839 .3

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त वर्ष 2015 में अर्थव्यवस्था में 5.4% की वृद्धि का पूर्वानुमान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि में 5.4% तक का पुनरुत्थान हो सकता है और अपेक्षाकृत सुदृढ़ वैश्विक वृद्धि, निर्यात स्पर्धात्मकता में सुधार तथा हाल ही में अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के कारण अगले वर्ष के मार्च तक वह 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.4% हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी समाप्त हुए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 4.4% विस्तीर्ण होने की आशा करता है। "प्राथमिकताओं में निवेश बढ़ाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों के बाज़ार-आधारित मूल्य-निर्धारण, मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरियों को समाप्त किए जाने, बिजली और खनन क्षेत्रों में नीतिगत ढांचों में सुधार लाए जाने, आर्थिक सहायताओं के व्यापक नेटवर्क का जीर्णोद्धार किए जान,`मध्यावधिक राजकोषीय समेकन को रेखांकित करने हेतु नये माल और सेवा कर नियमों को पारित कराए जाने का समावेश है।"

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़	उद्देश्य

	हुआ	
भारतीय स्टेट बैंक	रिलाएंस मनी ट्रान्सफर	बैंकिंग सेवाओं की एक श्रेणी तलाशने, उधारकर्ताओं की पहचान करने, ऋण आवेदन एकत्रित, संसाधित और प्रस्तुत करने, ऋण समूहों को बढ़ावा देने, स्वीकृति-पश्चात् वाली निगरानी, अनुवर्तन एवं वसूली का दायित्व संभालने हेतु।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	टाटा मोटर्स लिमिटेड	भारत में वाणिज्यिक वाहनों के वित्तीयन हेतु।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमश:)

बासेल-III पर चर्चा को जारी रखते हुए हम निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं :

ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें

पूंजी आवश्यकता की गणना

किसी संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए जोखिम न्यूनीकरण के बाद एक्सपोजर की रकम की गणना निम्नानुसार की जाती है :

E* = अधिकतम [0, [E x (+ He) - Cx (1 - He- Hfx)]]

जिसमें

E* = उस एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य जिसके लिए संपार्श्विक एक जोखिम उपशामक के रूप में पात्र है।

He = एक्सपोजर के उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य He = संपार्श्विक के उपयुक्त हेयरकट

Kfx = संपार्श्विक और एक्सपोजर के बीच मुद्रा बेमेल (असंतुलन) हेतु उपयुक्त हेयरकट

जोखिम न्यूनीकरण के बाद एक्सपोजर की रकम (अर्थात् E*) को संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए जोखिम-भारित आस्ति की रकम ज्ञात करने हेतु प्रतिपक्ष के जोखिम-भार द्वारा गुणित किया जाएगा।

क) तुलनपत्र की मदों का निर्धारण (की नेटिंग)

तुलनपत्र की मदों का निर्धारण ऋणों / अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित होता है। इस तकनीक में बैंकों में कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद होती हैं जो प्रलेखन के प्रमाण सहित विशिष्ट धारणाधिकार से सम्बन्धित होती हैं। पूंजी आवश्यकता का परिकलन निवल ऋण जोखिम (एक्सपोजर) के आधार पर किया जाता है। बैंक पूंजी आवश्यकता की गणना परिपत्र में यथा-सूचीबद्ध कुछेक शर्तों के अध्ययीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर कर सकते हैं।

ख) गारंटियां :

पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ऋण संरक्षण के रूप में सुस्पष्ट, अविकल्पी तथा शर्त-रहित गारंटियां ली जानी चाहिए। प्रतिपक्ष की तुलना में कमतर जोखिम-भार वाली कम्पनियों / संस्थाओं द्वारा जारी गारंटियों के परिणामस्वरूप कमतर पूंजीगत प्रभार लगेगा, क्योंकि प्रतिपक्ष के एक्सपोजर के संरक्षित हिस्से को गारंटीदाता का जोखिम-भार आबंटित किया जाता है, जबकि असुरक्षित हिस्से पर अन्तर्निहित प्रतिपक्ष का जोखिम-भार बना रहता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण (CRM)

के रूप में विवेचित किए जाने की पात्र गारंटियों की परिचालनात्मक विस्तृत अपेक्षाएं भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दी गई हैं।

संशोधित संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

14

पूंजी संरक्षण भण्डार (CCB) के कार्यान्वयन हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं को मूल रूप से 31 मार्च, 2015 से चरणों में लागू किया जाना है तथा उसे 31 मार्च, 2018 के दिन पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया जाना है (आईआईबीएफ विज़न नवम्बर, 2013)। अब कार्यान्वयन अवधि संशोधित कर दी गई है, जो 31 मार्च, 2016 के दिन आरंभ होगी तथा 31 मार्च, 2019 तक पूर्णत: कार्यान्वित कर दिए जाने हेतु एक वर्ष बढ़ा दी जाएगी।

आस्ति की गुणवत्ता पर संभाव्य दबावों के बारे में उद्योग-व्यापी चिंताओं और बैंकों के कार्य-निष्पादन / की लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बासेल III पूंजी विनियमन के पूर्णत: कार्यान्यन हेतु अंतर राष्ट्रीय स्तर पर सहमत समयावधि के भीतरं पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्णत: कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2018 की बजाय 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दी है। इससे भारत में बासेल III के पूर्णत: कार्यान्वयन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत तिथि 1 जनवरी, 2019 के सन्निकट ला दिया जाएगा।

वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए संशोधित संक्रमणकालीन व्यवस्था निम्नानुसार है :

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 अप्रैल 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
सीईटी 1	4.50	5.00	5.50	5.500	5.50	5.500	5.50
सीसीबी	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.50
न्यूनतम सीईटी + सीसीबी	4.50	5.00	5.50	6.125	6.75	7.375	8.00
न्यूनतम टियर 1 पूंजी	6.00	6.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
न्यूनतम कुल पूंजी *	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	9.00	9.00	9.00	9.625	10.25	10.875	11.50

* 9% की कुल न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और टियर 1 आवश्यकता के बीच वाले अंतर को टियर 2 और पूंजी के उच्चतर रूप से पूरा किया जा सकता है।

अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 पूंजी से कटौतियों पर वही संक्रमण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

संदिग्ध आस्तियां

किसी आस्ति को तब संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह 12 माह की अवधि तक अवमानक श्रेणी में रही हो। संदिग्ध के रूप मे वर्गीकृत किसी ऋण में इस अतिरिक्त विशेषता के साथ उन आस्तियों में अन्तर्निहित वे सभी कमजोरियां मौजूद होती हैं जिन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत

किया गया हो, कि वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, स्थितियों एवं मूल्यों के आधार पर वे कमजोरियां वसूली या पूरा परिसमापन अत्यधिक संदेहास्पद एवं असंभाव्य बना देती हैं।

शब्दावली

वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर (**REER**)

मुद्रास्फीति के प्रभाव हेतु समायोजित अन्य प्रमुख मुद्राओं के किसी एक सूचकांक या समूह के अनुपात में किसी देश की मुद्रा का भारित औसत। इन भारों का निर्धारण किसी एक देश की मुद्रा के उक्त सूचकांक में समाविष्ट प्रत्येक देश के आनुपातिक व्यापार शेषों की तुलना करके किया जाता है। इस विनिमय दर का उपयोग उक्त सूचकांक में शामिल मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए यथा-समायोजित अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में किसी विशिष्ट देश की मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करने हेतु किया जाता है। पूर्वोक्त सूचकांक के भीतर वाली सभी मुद्राएं आज के दिन खरीदी-बेची जा रही अमरीकी डालर, जापानी येन, यूरो आदि जैसी प्रमुख मुद्राएं होती हैं। यह वह मूल्य भी होती है जिसका कोई विशिष्ट उपभोक्ता किसी आयातित माल के लिए उपभोक्ता के स्तर पर भुगतान करेगा। इस कीमत में माल को आयातित करने से जुड़े किसी भी प्रशुल्क या लेनदेन लागत का समावेश होगा।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	टीजेएसबी के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ग्राहकीकृत प्रशिक्षण	2 से 8 मई, 2014
2	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 से 9 मई, 2014
3	यूको बैंक के ऋण वसूली अधिकारियों के लिए ग्राहकीकृत प्रशिक्षण	19 से 31 मई, 2014

मार्च, 2014 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि

1	ऋण मूल्यांकन पर 9वां कार्यक्रम (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	21 से 26 अप्रैल, 2014
2	आवास वित्त पर 5वां कार्यक्रम	28 से 30 अप्रैल, 2014
3	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण / वित्तीय आतंकवाद का मुकाबला पर 4था कार्यक्रम	28 से 30 अप्रैल, 2014

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ तथा सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क कक्षाओं का आयोजन करेगा। संस्थान अनुपालन और बैंक प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम के लिए चुनिंदा केन्द्रों में संपर्क कक्षाओं का भी आयोजन करेगा। अधिक जानकारी के लिए वेब साइट देखें।

वीडियो व्याख्यान

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए वीडियो व्याख्यान देना आरंभ कर दिया है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।) जिन सदस्यों को प्रयोक्ता आईडी / पासवर्ड नहीं प्राप्त हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वे संस्थान के पास उनके सही / वैध ई-मेल आईडी अद्यतन करवा लें।

ई-शिक्षण

ई-शिक्षण की सुविधा इसके पूर्व प्रदान की जा रही अनिवार्य विषयों के अलावा अब सीएआईआईबी के सभी चयनात्मक विषयों के लिए भी प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल

विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

115.00
105.00
95.00

85.00
75.00
65.00
55.00

18

01/04/14 02/04/14 07/04/14 10/04/14 15/04/14 16/04/14 21/04/14 23/04/14 28/04/14 29/04/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षप की रिपोर्ट के बीच 59.50 के अंत: दिवसीय उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 2री को रुपया पिछले दिन के 59.91 के बंद वाले स्तर के मुकाबले एक पैसा मज़बूत हो कर प्रति डालर 59.90 पर बंद हुआ।
- 10वीं को रुपये में कुछ मज़बूती दिखाई पड़ी और वह प्रति डालर 60.07 पर बंद हुआ।
- 22वीं को रुपया कुछ कमजोर पड़ कर प्रति डालर 60.77 पर बंद हुआ।
- 28वीं को रुपया प्रति डालर 60.65 पर बंद हुआ।
- माह के दौरान सभी स्तरों पर अमरीकी डालर, स्टर्लिंग -पौंड, यूरो और जापानी येन के समक्ष रुपये में क्रमश: 0.1%, 2.26%, 1.10% और 2.52% का मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

02/04/14 05/04/14 07/04/14 10/04/14 11/04/14 12/04/14 15/04/14 16/04/14 17/04/14 19/04/14 22/04/14 26/04/14 30/04/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2013

- माह के दौरान मांग दरें 6.41 % के न्यून स्तर और 8.8 % के उच्च स्तर के बीच दोलायमान रहीं।
- बाज़ार चलनिधि के दौरों और दुर्लभता के आवेगों के बीच परिवर्तित होता रहा।
- अंतिम दो दिनों के दौरान बाज़ार में चलनिधि की कठिन स्थितियों के संकेत दिखे।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (**BSE**)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न अप्रैल, 2014